

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 187-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 24, 2017 (KARTIKA 1, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अक्तूबर, 2017

संख्या 117/एस.टी.—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित के लिए आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, निर्यात के लिए किसी पंजीकृत प्राप्तिकर्ता को किसी पंजीकृत प्रदायकर्ता द्वारा कराधेय मालों (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, "उक्त मालों" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के, राज्य के भीतर प्रदाय पर, उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय राज्य कर जो 0.05 प्रतिशत की दर से गणना की गई राशि से अधिक है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन छूट प्रदान करते हैं, अर्थात्—

- (i) पंजीकृत प्रदायकर्ता, पंजीकृत प्राप्तिकर्ता को कर बीजक पर उक्त मालों का प्रदाय करेगा;
- (ii) पंजीकृत प्राप्तिकर्ता, पंजीकृत प्रदायकर्ता द्वारा कर बीजक जारी करने की तिथि से नब्बे दिन के भीतर उक्त मालों का निर्यात करेगा;
- (iii) पंजीकृत प्राप्तिकर्ता, उक्त मालों के संबंध में पंजीकृत प्रदायकर्ता के माल और सेवा कर की पहचान संख्या और पंजीकृत प्रदायकर्ता द्वारा जारी कर बीजक संख्या, शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल, जैसी भी स्थिति हो, में दर्शायेगा;
- (iv) पंजीकृत प्राप्तिकर्ता का निर्यात संवर्धन परिषद् अथवा वाणिज्य विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी वाणिज्या बोर्ड द्वारा पंजीकरण किया जायेगा;
- (v) पंजीकृत प्राप्तिकर्ता, रियायती दर पर माल प्राप्ति के लिए पंजीकृत प्रदायकर्ता को आदेश जारी करेगा तथा इसकी एक प्रति पंजीकृत प्रदायकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी देगा;

- (vi) पंजीकृत प्राप्तिकर्ता, पंजीकृत प्रदायकर्ता के स्थान से उक्त मालों को सीधे -
 - (क) बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर जहां से उक्त मालों का निर्यात किया जाना है, ले जाएगा; या
 - (ख) किसी पंजीकृत वेयर हाउस पर ले जाएगा जहां से उक्त मालों को बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अड्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उक्त मालों का निर्यात किया जाना है;
- (vii) यदि पंजीकृत प्राप्तिकर्ता कई पंजीकृत प्रदायकर्ताओं से प्राप्त हुई प्रदायों को समेकित करते हुए निर्यात करना चाहता है, तो प्रत्येक पंजीकृत प्रदायकर्ता से मालों को पंजीकृत वेयर हाउस को भिजवाया जाएगा तथा समेकित करने के पश्चात्, पंजीकृत प्राप्तिकर्ता मालों को बंदरगाह, इनलैण्ड कंटेनर डिपो, हवाई अङ्डा अथवा लैण्ड कस्टम स्टेशन पर ले जाएगा जहां से उनका निर्यात किया जाएगा:
- (viii) शर्त (vii) में निर्दिष्ट की दशा में, पंजीकृत प्राप्तिकर्ता, कर बीजक पर मालों की प्राप्ति पृष्टांकित करेगा और वेयर हाउस आपरेटर से पंजीकृत वेयर हाउस में मालों की प्राप्ति की पावती प्राप्त करेगा तथा कर बीजक पृष्टांकित करेगा और वेयर हाउस आपरेटर की पावती, पंजीकृत प्रदायकर्ता तथा ऐसे प्रदायकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को भी उपलब्ध करवाएगा;
- (ix) जब मालों का निर्यात कर दिया गया है, तो पंजीकृत प्राप्तिकर्ता शिपिंग बिल अथवा निर्यात बिल जिसमें माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) का ब्यौरा और पंजीकृत प्रदायकर्ता की कर बीजक अंकित हो तथा इसके साथ एक्सपोर्ट जनरल मैनीफैस्ट का सबूत या पंजीकृत प्रदायकर्ता और ऐसे प्रदायकर्ता के क्षेत्राधिकार प्राप्त कर अधिकारी को दायर की गई निर्यात रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करायेगा।
- 2. पंजीकृत प्रदायकर्ता उक्त वर्णित छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि पंजीकृत प्राप्तिकर्ता कर बीजक के जारी होने की तिथि से नब्बे दिन की अविध के भीतर उक्त मालों का निर्यात करने में असफल रहता है।

संजीव कौशल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT Notification

The 24th October, 2017

No. 117/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the intra-State supply of taxable goods (hereinafter referred to as "the said goods") by a registered supplier to a registered recipient for export, from so much of the State tax leviable thereon under section 9 of the said Act, as is in excess of the amount calculated at the rate of 0.05 percent, subject to fulfilment of the following conditions, namely:

- (i) the registered supplier shall supply the said goods to the registered recipient on a tax invoice;
- (ii) the registered recipient shall export the said goods within a period of ninety days from the date of issue of a tax invoice by the registered supplier;
- (iii) the registered recipient shall indicate the Goods and Services Tax Identification Number of the registered supplier and the tax invoice number issued by the registered supplier in respect of the said goods in the shipping bill or bill of export, as the case may be;
- (iv) the registered recipient shall be registered with an Export Promotion Council or a Commodity Board recognised by the Department of Commerce;
- (v) the registered recipient shall place an order on registered supplier for procuring goods at concessional rate and a copy of the same shall also be provided to the jurisdictional tax officer of the registered supplier;